न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 128/2013

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लीला पुत्री गुलाबचंद पत्नि बाबुलाल जाति कलाल बेरा अडको का पीपलिया सारंगवास, तहसील सोजत जिला पाली हाल निवासी फालना तहसील बाली जिला पाली (राज0)		1. सुरेश चंद 2. ढगलाराम पी0 गुलाबचंद 3. भंवरीदेवी पत्नि गुलाबचंद जातियान कलाल निवासीगण बेरा अडको का पीपलिया सारंगवास, तहसील सोजत जिला पाली(राज0) 4. चम्पालाल 5. शंकरलाल 6. कानाराम 7. भीकाराम 8. छैलाराम पी0 उदयराम जाति कलाल निवासीगण बेरा अडको का पीपलिया सारंगवास, तहसील सोजत जिला पाली(राज0) 9. नेमीचंद 10. पोकरराम पी0 हीरालाल जाति कलाल बेरा अडको का पीपलिया सारंगवास, तहसील सोजत जिला पाली(राज0) 11. माडी देवी पत्नि पुराराम जाति कलाल निवासी बेरा अडको का पीपलिया सारंगवास, तहसील सोजत जिला पाली(राज0) 12. मदनलाल पुत्र पुराराम जाति कलाल बेरा अडको का पीपलिया सारंगवास, तहसील सोजत जिला पाली(राज0) 13. पोकरचंद पुत्र हीरालाल जाति कलाल बेरा अडको का पीपलिया सारंगवास, तहसील सोजत जिला पाली(राज0) 14. भूमि धारक (तहसीलदार) सोजत, जिला पाली (राज0)

उप खण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92(ए), 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री किशन सोनी अधिवक्ता मय वादीया स्वयं उपस्थित।
2. श्री श्यामलाल गेहलोत व श्री सुरेन्द्र कुमार आशिया अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण 1 से 3 स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक— 09.01.2018

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सारंगवास तहसील सोजत जिला पाली में ख0नं0 359, 407, 409 व 412 कुल किता 04 रकबा 6.1000 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जा0अ0 व बंजड़ की कृषि भूमि वादीया के पूर्वजो की खातेदारी हक हकूक एवं कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त कृषि भूमि में वादीया के पिता स्व0 गुलाबचंद की 1/6 हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है, तथा वादीया के पिता स्वर्गीय गुलाबचंद बहैसियत खातेदारी काश्तकार के रूप में काबिज काश्त थे, जो कि राजस्व रेकर्ड से बखूबी साबित है, जिनका देहान्त वर्ष 1980 में हो चुका है। वादिया के पिता गुलाबचंद की

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

वंशावली में पत्नि भंवरीदेवी, दो पुत्र सुरेशचंद तथा ढगलाराम व एक पुत्री लीला वादिया है। प्रतिवादीगण सं01 से 3 ही स्व0 गुलाबचंद के वैध वारिसान व उत्तराधिकारी है, इनके अलावा कोई उत्तराधिकारी वारिसान नही है, जिनका अपने पिता/पति की वादस्थ कृषि भूमि में वैध हक हिस्सा समाहित है। चूंकि वादीनी के पिता का उक्त वादस्थ कृषि भूमि में 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे, इस कारण वादीनी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तमाम का उक्त वादस्थ कृषि भूमि में 1/24 हिस्सा आता है। तथा वादिनी स्व0 गुलाबचंद की वैध पुत्री होने से माफिक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी वादस्थ कृषि भूमि में अपने पिता के नियत हिस्से में 1/24वां हिस्से की खातेदारी काश्तकार का विधिक अधिकार रखती है, इसी माफिक उनका हक हिस्सा कानूनी रूप से कायम है तथा मौके पर आज भी वादीनी काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीनी के पिता स्वर्गीय गुलाबचंद के स्वर्गवास के बाद बाले–बाले वादीनी की बिना जानकारी के फौतेदगी नामान्तकरण प्रति0 सं0 1 से 3 से बिना अधिकारिता के व विधि विरूद्ध तरीके से गैर कानूनी तरीके से मात्र अपने नाम से दर्ज करवा दिया जो किसी भी रूप में विधि सम्मत नही है, क्योकि वादीनी स्वयं स्व0 गुलाबचंद की जायन्दा पुत्री है और न ही ऐसे शून्य नामान्तरकरण से वादस्थ कृषि भूमि में वादीनी के निहित वैध अधिकार प्रभावित होते है, न ही ऐसे अवैध नामान्तरकरण के आधार पर वादीनी को अपने वादस्थ कृषि भूमि जो कि पैतृक सम्पति में उसके निहित अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। प्रति0 सं0 1 से 3 जो वादस्थ कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार है, ने स्व0 गुलाबचंद के स्वर्गवास के पश्चात अपने नाम से अवैध म्यूटेशन दर्ज करवा दिया, जिस आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर वादीनी को वादस्थ कृषि भूमि में निहित उसके वैध अधिकारों से वंचित करने का प्रयास कर रहे है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 संयुक्त कृषि भूमि का वैध बंटवाडा करवाये बिना ही आगे से आगे हस्तानान्तरण तथा कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य करने हेतु उतारू है, जबकि वादीनी का वादस्थ कृषि भूमि के प्रत्येक इंच पर हक व अधिकार आज भी निहित है। दिनॉक 13.04.2013 को जब वादीनी ने अपने वादस्थ संयुक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को नाप चौक करते हुए और भू–तस्करो को बेचान करने हेतु मौका मुआयना करवाते देखा तो मौके पर जाकर पूछताछ की तो ज्ञात हुआ कि उनके स्व0 पिता की पुश्तैनी कृषि भूमि का प्रति0सं0 1 से 3 वादीनी की बिना जानकारी, सहमति व सूचना के अन्यत्र हस्तानान्तरण करने को उतारू है, वादीनी ने जब अपना वैध हक व हिस्सा होना जाहिर किया तो प्रति0 संख्या 1 से 3 ने वादीनी को वैध खातेदार व वारिसान मानने से भी इन्कार कर दिया तथा एलानियां कहा कि तुम्हारा इस कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। उन्हें वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल कर बेचान कर देंगे, जिस पर वादीनी ने दि0 15.04.2013 व 02.05.2013 को राजस्व रेकर्ड की नकले निकालने पर वादीनी को वास्तविकता की जानकारी हुई कि राजस्व रेकर्ड में उसका नाम दर्ज नही है, जबकि गुलाबचंद के स्वर्गवास के पश्चात वैध वारिसान होने के कारण उसका नाम दर्ज होना था, चूंकि वादस्थ कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी एवं पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसका बंटवाड़ा आज दिन तक नही हुआ है, तथा म्यूटेशन एक फिक्सिल प्रोसीडिंग है, जिसके आधार पर हुए किसी भी तरमीम से वादीनी को उनके निहित वैध अधिकारों से वंचित नही किया जा सकता है, क्योकि वादस्थ कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है, जिस पर वादीनी स्व0 गुलाबचंद की वैध उत्तराधिकारी होने से वैध खातेदार वारिसान है। वादस्थ कृषि भूमि में वादीनी स्व0 गुलाबचंद की जायन्दा पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की अनुसूची प्रथम मे वैध वारिस होने से वादस्थ तमाम कृषि भूमि में वादीनी का 1/24 वां हिस्सा उक्त वादस्थ कृषि भूमि में हक हकूक खातेदारी का आता है, तथा उक्त वादस्थ कृषि भूमि का विधिक बंटवाड़ा भी आज दिन तक नही हुआ है, तथा वादीनी अपना 1/24 वा हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से (माप व सीमांकन) से बंटवाड़ा करवाकर अपना हिस्सा अलग करवाकर कब्जा प्राप्त करने तथा राजस्व रेकर्ड में अपना नाम व हिस्सा अलग से दर्ज करवाना चाहती है, इसलिए यह घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा का पेश किया है। वादस्थ कृषि भूमि में प्रति0 सं0 1 से 3 का विधि विरूद्ध रूप से राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने की वजह से तथा कृषि भूमि की कीमते बढने से अब प्रतिवादीगण की नियतबद हो गई तथा प्रति0 सं0 1 से 3 उक्त वादस्थ कृषि भूमि का बेचान, हस्तानान्तरण करने को आमादा है। इस आशय की एलानियां धमकी वादीनी को दी कि तेरा इस कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही है तथा आन्यदा इस कृषि भूमि पर पांव रखा तो तुम्हारी टांगे तोड देंगे। जबकि वादस्थ कृषि भूमि में वादीनी का 1/24 वां हिस्सा आता है इसलिए प्रति0सं0 1 से 3 को वादीनी के 1/24 हिस्से में से बेदखल व बेचान हस्तानान्तरण करने का कोई

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

अधिकार नही है। इसलिए वादीनी प्रति0 सं0 1 से 3 के उक्त विधि विरूद्ध कृत्य को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रूकवाने की विधिक अधिकारिणी है, ताकि वह अपने विधिक अधिकारों व हक हकूकों से महरूम नही हो। अतः वाद वादीनी घोषणा खातेदारी, वैध बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 53 राज0 काश्त0 अधि0 का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है। वादस्थ कृषि भूमि संयुक्त सामलाती होने से तथा विधिक बंटवाड़ा नही होने के कारण तथा राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं0 4 से 13 का नाम होने से तथा प्रतिवादी सं0 14 भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया है। बिनायदावा दि0 13.04.2013 को प्रति0सं0 1 से 3 द्वारा मौके पर वादिनी को पुश्तैनी कृषि भूमि में संयुक्त खातेदारी मानने से इन्कार कर देने से तथा दि0 15.04.2013 व 02.05.2013 को राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर वादीनी का नाप बतौर खतेदार राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नही होने की जानकारी होने से तथा वादीनी के 1/24 वे हिस्से के कब्जे काश्त से वंचित व बेदखल करने की नियत से वादस्थ कृषि भूमि को भू–तस्करो को बेचान हस्तानान्तरण करने को आमादा व धमकियां देने से तथा वैध बंटवाड़ा करने से इन्कार करने से बिनायदावा ग्राम सारंगवास तहसील सोजत में उत्पन्न हुआ, जो अन्दर मयाद पेश है। वादस्थ भूमि संयुक्त व सामलाती होने तथा इसका विधिक बंटवाड़ा नही होने से तथा राजस्व रेकर्ड में प्रति0सं0 4 से 13 के नाम दर्ज होने से तथा 14 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। वादिया को दिनांक 13.04.2013 को प्रति0 सं0 1 से 3 को वादिनी को खातेदार इन्कार करने तथा उसके हिस्सा 1/24 की भूमि अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा होने से वाद पेश किया है। इस प्रकार वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त विवादित कृषि भूमि में वादिया को 1/24 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने, बंटवाड़ा बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने तथा वादिया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी बेचान रहन अन्य हततांतरण करने से रोके जाने की ईश्तदुआ है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस तलब किया गया।

उक्त अनवान वाद में पक्षकारान के बीच अपासी समझाईस से राजीनामा हो चुका है कि सरहद ग्राम सांरगवास के ख0नं0 359, 407, 409 व 412 की भूमि में पक्षकारान के पति/पिता स्व0 गुलाबचन्द का 1/6 हक हिस्सा खातेदारी का आया हुआ था, गुलाबचन्द के स्वर्गवास के बाद जरिये म्युटेशन सं0 387 के सुरेश चन्द ढगलाराम पि0 गुलाबचन्द व भंवरी देवी पत्नि गुलाबचन्द का 1/6 हिस्सा दर्ज किया गया जिसमें वादीनी लीला पुत्री गुलाबचन्द का नाम खाते में नही आने से उपरोक्त वादखातेदारी घोषणा व बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादीनी द्वारा पेश किया गया। दौराने वाद न्याय आपके द्वार में पक्षकारान के बीच स्व0 गुलाबचन्द की सम्पति को लेकर राजीनामा हुआ जिसके अनुसार स्व0 गुलाबचंद के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में 1/6 हिस्से की आराजी में वादीनी लीला व प्रतिवादीगण सुरेशचन्द, ढगलाराम तथा भंवरी देवी प्रत्येक का 1/24, 1/24 हक हिस्सा रहा, तथा लीला देवी का नाम भी जरिये म्युटेशन सं0 506 दि0 08.09.2015 को गुलबचंद के 1/6 हक हिस्से में दर्ज किया जा चुका है। वादीनी लीला व प्रतिवादी सुरेश चंद का भी राजस्व रेकर्ड में 1/24, 1/24 हक हिस्सा दर्ज हो चुका है। पक्षकारान राजीनामा के अनुसार अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का नाप–चौप पटवारी की उपस्थिति में 15 दिन के अन्दर अन्दर करवाकर मौके पर कब्जा प्राप्त करवा लेंगे, जिसमें कोई पक्षकार किसी प्रकार का कोई उर्ज एतराज नही करेगा। भंवरी देवी व ढगलाराम का हिस्सा मौके पर स्थित कृषि भूमि में से एक चक मापकर उनके हक हिस्से की कृषि भूमि को अलग से देगे, जिसमे किसी पक्षकार का कोई उज्र एतराज नही होगा, तथा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की कृषि भूमि सभी खातेदारान की धेड़ (कुआ) बना हुआ है, जिसमें पाईप लाईन व मोटर लगी हुई तथा बिजली का बिल सभी सहखातेदारो द्वारा हिस्सानुसार वहन किया जाता है। यदि आप भवंरी देवी व ढगलाराम भागीदार बनेगे तो सभी सहखातेदारो की सहमति व हिस्से अनुसार खर्चा वहन करेगे, अन्यथा आप उक्त धेड़(कुआ) में अपनी मोटर–पाईप लगाकर अलग से पानी निकाल सकेगे, जिसमे मुझ लीला व सुरेशचन्द को कोई एतराज नही होगा, कुए में जो गुलाबचन्द का हक हिस्सा है उसमे भंवरी देवी व ढगलाराम का हिस्सा होगा, जो अपने हक हिस्से अनुसार पानी निकाल सकेगे। राजीनामा दिनॉक 05.12.2016 को पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

अधिवक्ता वादिया ने दिनॉक 05.12.2016 की प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादिया तथा प्रति0सं0 1 से 3 के मध्य उक्त राजीनामा पेश कर दिया है तथा अब प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

संख्या 4 से 14 के विरूद्ध कोई कार्यवाही व डिक्री नही चाहती है, मात्र सहखातेदार दर्ज होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। जिससे प्रा0पत्र पेश प्रतिवादीगण सं0 4 से 14 के विरूद्ध किया गया दावा जरिए विड्रोल खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। लिहाजा हस्ब ईश्तदुआ वादिया प्रति0सं0 4 से 14 के विरूद्ध किया गया दावा जरिए विड्रोल दिनॉक 05.12.2016 को खारिज किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादिया ने व्यक्त किया कि जरिए राजीनामा तस्दीकसुदा दिनॉक 05.12.2016 अनुसार चूँकि बंटवाड़ा की ईश्तदुआ बिन्दु सं0 3 व 4 के अनुसार नही चाही गई है। जिससे बंटवाड़ा की ईश्तदुआ विड्रोवल जरिए वापस ली जा चुकी है। राजस्व लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पारित प्रा0डिक्री दिनांक 12.06.2015 की पालना में वादिया को प्रति0सं0 1 से 3 के साथ उक्त विवादित भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित कर दिये जाने से राजस्व रेकर्ड में 1/6 हिस्से की भूमि में वादीया एवं प्रति0सं0 1 से 3 के नाम दर्ज होना राजीनामा में भी स्वीकार किया जा चुका है। लिहाजा माफिक राजीनामा वाद स्वीकार किया जाने तथा दावा डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा मय प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 तथा तस्दीक सुदा राजीनामा दिनांक 05.12.2016 गहनता से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता वादिया एवं राजीनामा में वर्णित वादिया तथा प्रतिवादी सं0 1 से 3 की स्वीकारोक्ति पर गौर कर मनन किया गया। चूँकि पृथक से बंटवाड़ा पक्षकारों द्वारा नही चाहने से बंटवाड़े की ईश्तदुआ जरिए विड्रोवल खारिज हो चुकी है तथा राजस्व रेकर्ड में वादिया का नाम प्रति0सं0 1 से 3 के साथ प्राथमिक डिक्री की पालना में अमल दरामद हो चुका है। लिहाजा अब कोई पालना आपेक्षित नही रही है। फलस्वरूप अब उक्त वाद में अन्य कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं होने से वाद पत्रावली फैसल शुमार किये जाने की ईश्तदुआ की है। वस्तुतः राजीनामा दिनॉक 12.06.2015 तथा तस्दीकसुदा राजीनामा दिनॉक 05.12.2016 को निर्णय व डिक्री का एक भाग मानते हुए उक्त वाद में कोई कार्यवाही आपेक्षित न होने से कार्यवाही ड्रोप किया जाना तथा वाद फैसल शुमार किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत राजीनामा मय प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 तथा तस्दीक सुदा राजीनामा दिनांक 05.12.2016 मे वर्णित वादिया तथा प्रतिवादी सं0 1 से 3 की स्वीकारोक्ति से चूँकि पृथक से बंटवाड़ा पक्षकारों द्वारा नही चाहने से बंटवाड़े की ईश्तदुआ जरिए विड्रोवल खारिज हो चुकी है तथा राजस्व रेकर्ड में वादिया का नाम प्रति0सं0 1 से 3 के साथ प्राथमिक डिक्री की पालना में अमल दरामद हो चुका है। लिहाजा अब कोई पालना आपेक्षित नही रही है। फलस्वरूप अब उक्त वाद में अन्य कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं है। वस्तुतः राजीनामा दिनॉक 12.06.2015 तथा तस्दीकसुदा राजीनामा दिनॉक 05.12.2016 को निर्णय व डिक्री का एक भाग मानते हुए उक्त वाद में कोई कार्यवाही आपेक्षित न होने से कार्यवाही ड्रोप की जाती है तथा उक्त वाद फैसल शुमार किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मृर्तिब किया जाकर सामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
(जिला–पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 09.01.2018 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर मेरे द्वारा सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
(जिला–पाली)